(4) इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) वर्तमान में अवमुक्त की जा रही धनराशि के उपभोग सम्बन्धी उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

(6) इस संबंध में भारत सरकार से संपर्क कर संतुष्ट हों लें कि RBI में प्राप्त धनराशि की तिथि प्रश्नगत स्वीकृत आदेश की ही है।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,54,01,67,000 (रुपये एक अरब चौवन करोड़ एक लाख सड़सठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 009 लेखा शीर्षक 6801001900300 ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर-II के पारेषण कार्यों हेतु के.एफ.डब्लू. से प्राप्त होने वाले ऋण के सापेक्ष उ.प्र. पावर ट्रांसमिशन कार्पोरेशन को ऋण मानक मद 30 निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-10-93-X-2025-26-दिनांक:22-1-2026 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

संजय शुक्ला
संयुक्त सचिव।

संख्या-09/2025/001-01(1)-24-1-2026-1797-2021, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001

2- प्रधान महालेखाकार,(लेखा परीक्षा)-प्रथम, 15 ए, दयानन्द मार्ग, सिविल लाइन, प्रयागराज-211001

3- कार्यालय प्रधान महालेखाकार(लेखापरीक्षा-।।), उ0प्र0, आडिट भवन, टी0सी0-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।

4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।

5- वित्त (व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-10/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

संजय शुक्ला
संयुक्त सचिव।